UPRN120013612019

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

परिवाद सं०–385/2019

श्रीमती राधा उर्फ रामदुलारी बनाम प्रदीप कुमार आदि ।

थाना –भोगनीपुर,कानपुर देहात ।

दिनांक 18–09–2023

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस तलबी पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है । पत्रावली का परिशीलन किया ।

परिवाद पत्र का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी ग्राम दौलतपुर थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात की निवासिनी है । उसका विवाह प्रदीप कुमार के साथ दिनांक 14–05–2015 को हुआ था । शादी के कुछ समय के बाद से उसका पति प्रदीप कुमार, ससुर खुशीराम, सास चन्दा देवी ,देवर नीतू व कन्हैया उससे एक लाख रूपये व मोटर साइकिल की मांग कर प्रताड़ित करते रहे उसके एक लड़की का जन्म होने पर उन लोगों की क्रूरता उसके प्रति और बढ़ गयी इसी कारण उक्त लोगों ने दीपावली के अवसर पर दिनांक 07–01–2018 को नाबालिग पुत्री सहित उसके भाई के साथ घर से निकाल दिया । तब से वह मायके में रह रही है उसका पति फोन पर उक्त दहेज की मांग करता है तथा गाली गलौज करता है । उक्त लोगों की मानसिक व शारीरिक क्रूरता के कारण वह अत्यन्त कमजोर हो गयी है । उसने इसकी सूचना थाना भोगनीपुर में किया किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब उसने दिनांक 01–03–2019 को जरिये पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उक्त परिवाद माननीय न्यायालय में दाखिल किया ।

परिवादिनी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० तथा गवाहान पी०डब्लू० 1 धनराज का बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र० सं० कराया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि उसका विवाह प्रदीप कुमार के साथ दिनांक 14–05–2015 को हुआ था । शादी के कुछ समय बाद से पति प्रदीप कुमार , ससुर खुशीराम, सास चन्दा देवी ,देवर नीतू व कन्हैया दहेज में एक लाख रूपये व मोटर साइकिल की मांग करते हैं । दिनांक 07–11–2018 को भाई के साथ मायके आ गयी थी तब से ससुराल वाले लेने नहीं आये । पति दहेज की मांग करते हैं घटना की शिकायत सकरने थाने गयी थी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस प्रकार ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग करने व प्रताड़ित करने का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादिनी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, खुशीराम व श्रीमती चन्दा देवी को अंतर्गत धारा 498A भा०दं०सं० व 4 डी०पी० एक्ट में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

जहाँ तक शेष विपक्षीगण का प्रश्न है तो परिवादिनी द्वारा सामान्य प्रकृति के आक्षेप लगाए गये हैं, प्रत्येक विपक्षी के कृत्य का विशेष वर्णन नहीं दिया गया है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि पारिवारिक विवाद होने पर समस्त ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को अधिरोपित कर दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी Geeta Mehrotra v State of UP [AIR 2013 SC 181] के मामले में अवधारित किया गया है कि - "When it is apparent that there are no allegations against the accused but mere casual reference of the names of the family members in a matrimonial dispute without allegations of active involvement in the matter, would not justify taking cognizance against them overlooking the fact borne out of experience that there is a tendency to involve the entire family members of the household in the

domestic quarrel taking place in a matrimonial dispute specially if it happens soon after the wedding. "न्यायालय इस मत का है कि विशेष कृत्य के साक्ष्य के अभाव में शेष विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, खुशीराम व श्रीमती चन्दा देवी को धारा– 498A भा०दं०सं० व 4 डी०पी० एक्ट में तलब किया जाता है। परिवादिनी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 18–10–2023 को पेश हो।

(राशि तोमर)

दिनांक 18–09–2023

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

J.O code U.P2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.09.18 17:42:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court